न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 144/2018/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. फूलाराम
2. दुर्गाराम
3. झूंथाराम
4. जवानाराम
5. बिरदाराम

} पुत्रगण देवाराम उर्फ छोटूराम पुत्र चन्द्राराम।

6. सिंजारी देवी
7. सायरी देवी
8. गीतादेवी

} पुत्रियां देवाराम उर्फ छोटूराम पुत्र चन्द्राराम।

9. गोरली देवी उर्फ गंगादेवी पत्नि देवाराम उर्फ छोटूराम पुत्र चन्द्राराम।

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण भैरूनगर (भारीजा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार, जरिये भू–धारक तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती
अंतर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह, वकील प्रार्थीगण ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 09.10.2019**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 54 रकबा 17.35 हैक्टर वाके ग्राम भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित है जिसके नये खसरा नंबर 97 रकबा 0.12 है9, ख0नं0 98 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 99 रकबा 1.27 है0 ख0नं0 100 रकबा 1. 92 है0, ख0नं0 101 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 104 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 127 रकबा 0.99 हैव, ख0नं0 128 रकबा 1.52 है0, ख0नं0 129 रकबा 1.86 है0, ख0नं0 130 रकबा 2.24 है0, ख0नं0 131 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 132 रकबा 0.67 है0, ख0नं0 133 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 134 रकबा 4.46 है0 किता 14 कुल रकबा 17.35 हैक्टेयर तथा भूमि पुराने खसरा नम्बर 51 रकबा 13.36 है0 जिसके नये खसरा नम्बर 103 रकबा 1.60 है0, ख0नं0 108 रकबा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

0.19 है0, ख0नं0 109 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 110 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 111 रकबा 0.97 है0, ख0नं0 112 रकबा 1.64 है0, ख0नं0 113 रकबा 1.25 है0, ख0नं0 114 रकबा 1.70 है0, ख0नं0 115 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 116 रकबा 1.90 है0, ख0नं0 117 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 118 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 119 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 121 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 122 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 124 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 125 रकबा 0.01 है0 किता 17 कुल रकबा 13.36 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये गये है। खातेदार देवाराम उर्फ छोटूराम पुत्र चन्द्राराम जाति गुर्जर निवासी भैरूनगर (भारीजा) दिनांक 24.10.2017 को फौत हो चुके है जिनका वारिश प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भारीजा द्वारा दिनांक 21.11.2017 को जारी किया गया। खातेदार देवाराम उर्फ छोटूराम पुत्र चन्द्राराम के फोत होने पर इनका वारिस प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण प, पटवारी हल्का के पास इनकी खातेदारी भूमि का विरासत का नामांतकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का मिलान करने पर वादीगण के पिता राजस्व रिकॉर्ड में छोटूराम पुत्र चतरा दर्ज होने सें विरासत का नामांतकरण खोलने सें मना हो गये। इसी दौराने ही वादीगण को उनके पिता का नाम उक्त भूमियों में गलत अंकन होने की जानकारी हुई अतः जानकारी के अभाव में हुआ विलम्बर क्षमा किये जाने योग्य है। पूर्व में भारीजा राजस्व कैम्प में आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा पटवारी हल्का को रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया था जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई लेकिन समयाभाव के कारण प्रकरण में कार्यवाही नहीं हो सकी। वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड मेकं गलत अंकित हो जाने सें वादीगण के वैघ अधिकारों पर कुठाराघात होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। वादीगण के पिता/पति का नाम अन्य भूमियां खसरा नम्बर 21 रकबा 4.11 हैक्टर में सही रूप सें देवाराम पुत्र चन्द्राराम जाति गुर्जर अंकित चला आ रहा है। तथा इस संबंध में ग्राम पंचायत भारीजा द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है कि देवाराम व छोटूराम दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जकर उक्त वर्णित ग्राम भैरूनगर की कृषि भूमियों में वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अकित छोटूराम पुत्र चतरा जाति गुर्जर के स्थान पर देवाराम उर्फ छोटूराम पुत्र चन्द्राराम जाति गुर्जर निवासी भैरूनगर (भारीजा) राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा इस अमल की उदघोषणा की जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादीगण के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में संहवन सें छोटूराम पुत्र चतरा दर्ज है जिसें दुरूस्त किया जावे तथा छोटूराम पुत्र चतरा के स्थान पर देवाराम उर्फ छोटूराम पुत्र चन्द्राराम दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ''प्रकरण में जांच रिपोर्ट पटवारी व संलग्न साक्ष्यो के आधार पर भूमि जरिये विरासत के नामांतकरण संख्या 80/15.5.63 चन्द्रा पु0 उदा के नामांतकरण सें छोटू पुत्र चन्द्रा दर्ज हुआ था जो बाद में लिपिकीय त्रुटि सें छोटू पु0 चतरा हो गया जबकि सही नाम देवा पुत्र चन्द्रा है। ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र के आधार पर देवा उर्फ छोटूराम पु0 चतरा उर्फ चन्द्रा एक ही व्यक्ति है। ग्राम भैरूनगर के ख0नं0 100, 101, 104, 127 सें 134, 97 सें 99 किता 14 रकबा 17.35 है0 व खसरा नम्बर 112 1.64 ख.नं 118 रकबा 0.64 है0 रकबा 0.64 है0 व ख0नं0 103, 108 सें 111, 113 सें 117, 119, 121, 122, 124, 125 किता 15 रकबा 11.08 में छोटूराम पु0 चतराराम के स्थान पर देवाराम पु0 चन्द्राराम सही किया जाना उचित है।'' प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायहित में **वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा ग्राम भैरूनगर (भारीजा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित भूमि खसरा नंबर 97 रकबा 0.12 है9, ख0नं0 98 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 99 रकबा 1.27 है0 ख0नं0 100 रकबा 1.92 है0, ख0नं0 101 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 104 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 127 रकबा 0.99 हैव, ख0नं0 128 रकबा 1.52 है0, ख0नं0 129 रकबा 1.86 है0, ख0नं0 130 रकबा 2.24 है0, ख0नं0 131 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 132 रकबा 0.67 है0, ख0नं0 133 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 134 रकबा 4.46 है0 किता 14 कुल रकबा 17.35 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 1.60 है0, ख0नं0 108 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 109 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 110 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 111 रकबा 0.97 है0, ख0नं0 112 रकबा 1.64 है0, ख0नं0 113 रकबा 1.25 है0, ख0नं0 114 रकबा 1.70 है0, ख0नं0 115 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 116 रकबा 1.90 है0, ख0नं0 117 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 118 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 119 रकबा 0.20 है0, ख0नं0**

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

121 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 122 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 124 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 125 रकबा 0.01 है0 किता 17 कुल रकबा 13.36 हैक्टेयर में छोटूराम पुत्र चतरा स्थान पर देवाराम उर्फ छोटूराम पुत्र चन्द्राराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भैरूनगर (भारीजा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर दर्ज किये जाने की उदघोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

फुलाराम आदि   बनाम   राज्य सरकार

दावा बाबत, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक. 09.10.2019

मुकदमा नं0 144 / दावा सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री शिवपाल सिंह** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा ग्राम भैरूनगर (भारीजा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित भूमि खसरा नंबर 97 रकबा 0.12 है9, ख0नं0 98 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 99 रकबा 1.27 है0 ख0नं0 100 रकबा 1.92 है0, ख0नं0 101 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 104 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 127 रकबा 0.99 हैव, ख0नं0 128 रकबा 1.52 है0, ख0नं0 129 रकबा 1.86 है0, ख0नं0 130 रकबा 2.24 है0, ख0नं0 131 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 132 रकबा 0.67 है0, ख0नं0 133 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 134 रकबा 4.46 है0 किता 14 कुल रकबा 17.35 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 1.60 है0, ख0नं0 108 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 109 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 110 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 111 रकबा 0.97 है0, ख0नं0 112 रकबा 1.64 है0, ख0नं0 113 रकबा 1.25 है0, ख0नं0 114 रकबा 1.70 है0, ख0नं0 115 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 116 रकबा 1.90 है0, ख0नं0 117 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 118 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 119 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 121 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 122 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 124 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 125 रकबा 0.01 है0 किता 17 कुल रकबा 13.36 हैक्टेयर में छोटूराम पुत्र चतरा स्थान पर देवाराम उर्फ छोटूराम पुत्र चन्द्राराम जाति गुर्जर निवासी भैरूनगर (भारीजा) तह0 दांतारामगढ जिला सीकर दर्ज किये जाने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.10.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner